			(i) Master's Degree in Zoology (with specialization in fisheries) or Master's Degree in Fisheries or Marine Biology from a recognized University or Diploma from the Central Institute of Fisheries Education, Bombay or equivalent; (ii) Fifteen years' experience in the field of fisheries development both marine and inland. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six as on the closing date of receipt of application.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. A. 12018/3/2016-Admn.I]

LALIT GROVER, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन और डेयरी विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में पशुपालन आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (पशुपालन आयुक्त) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 पशुपालन आयुक्त	1* (एक) (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 15 (182200-224100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या कृषि विश्वविद्यालयों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के

	अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(I) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (II) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200-218200 रुपए) में या समतुल्य पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो: और (III) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (131100-216600 रुपए) में या समतुल्य पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है अर्थात्; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन के किसी बैच में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य (iii) पशुपालन विकास पशुधन या पशु चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन के क्षेत्र में 23 वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधाणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 12018/3/2016- प्रशासन-I]

ललित ग्रोवर, वर सचिव

New Delhi, the 21st June, 2017

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Animal Husbandry and Dairying (Animal Husbandry Commissioner) Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Animal Husbandry Commissioner in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely: -

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (Animal Husbandry Commissioner) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, its classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Animal Husbandry Commissioner	(one)*(2017) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group “A”, Gazetted	Level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By deputation (including short term contract.)	Deputation (including short-term contract). Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Agriculture Universities or Indian Council of Agricultural Research or Recognised Research Institutions :

			a)(i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years' regular service in posts in level-14 (Rs.144200-218200) in the pay matrix or equivalent; or (iii) with five years regular service in posts in level-13A (Rs.131100-216600) in the pay matrix or equivalent; (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Veterinary Science or Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized university or equivalent. (ii) Post-Graduate Degree in any branch of Veterinary Science or Animal Husbandry from a recognized University or equivalent. (iii) 23 years experience in Livestock Animal Husbandry development or of research in the field of Veterinary Science or Animal Husbandry. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 (five) years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. A. 12018/3/2016-Admn.I]

LALIT GROVER, Under Secy.